भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4391

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

4391. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री अनुराग शर्माः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत वर्ष 2024 में पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उक्त मिशन के तहत वर्ष 2024 तक पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संचयी संख्या कितनी है तथा वर्ष 2024 में स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या और उनकी वित्तीय लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2024 में मल-जल शोधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और एनएमसीजी की शुरुआत के बाद से गंगा बेसिन में शुरू की गई मल-जल शोधन परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) गुजरात में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त मिशन का विस्तार गुजरात के जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल जिलों में विशेष रूप से किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गुजरात के किन क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख) : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत, जनवरी से दिसंबर 2024 तक कुल 27 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी थीं, जिससे कुल परियोजनाओं की संख्या 305 हो गई। इसके साथ-साथ, वर्ष 2024 में 2,056 करोड़ रूपए की लागत से 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रदूषण निवारण के लिए, वर्ष 2024 में 203.55

एमएलडी की क्षमता वाली 12 सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक 6,335 एमएलडी की क्षमता वाली सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं की कुल संख्या 206 हो गई हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार गुजरात राज्य सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ नल से सुरक्षित और पीने योग्य जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 23.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.54 करोड़ (80%) से अधिक परिवारों के घरों में नल से जल की आपूर्ति होने के सम्बन्ध में सूचना मिली है।

इसी प्रकार, गुजरात राज्य में, मिशन की शुरुआत में केवल 65.16 लाख (71.46%) ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अक्टूबर, 2022 में, शेष 26.02 लाख ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन प्रदान करके, राज्य ने खुद को हर घर जल राज्य घोषित किया, अर्थात एससी और एसटी बहुल बस्तियों के सभी घरों सहित 100% ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध है।

(ङ) और (च): भारत सरकार ने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जलाशयों /टैंकों के जीर्णोद्धार, बोरवेलों के पुन: उपयोग और पुनर्भरण पर फोकस करके जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई से नवंबर 2019 के दौरान देश के 256 जल-संकटापन्न जिलों के 1,592 ब्लॉकों में 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) शुरू किया है। इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने फरवरी 2020 में "कैच द रेन" (सीटीआर) अभियान शुरू किया। जल शक्ति मंत्रालय ने 2021 में कैच द रेन अभियान को शामिल करते हुए "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया, जिसमें गुजरात के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक फीचर बन गया है।

हाल ही में, दिनांक 22.03.2025 को जेएसए: सीटीआर के छठे संस्करण को दिनांक 30.11.2025 तक कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उक्त अभियान के केंद्रित हस्तक्षेपों में से एक है। इस दृष्टिकोण के आधार पर, मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की है जो वैज्ञानिक लेकिन लागत प्रभावी जल संरक्षण समाधानों पर केंद्रित है। इसमें आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का लाभ उठाते हुए 31 मई, 2025 तक गुजरात राज्य के सभी जिलों सहित ग्रामीण और शहरी भारत में दस लाख कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। दिनांक 24.03.2025 की स्थिति के अनुसार,जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के अंतर्गत लगभग 8.62 लाख पुनर्भरण संरचनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें अकेले गुजरात में 48,624 संरचनाएं हैं।

वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए निम्नवत अतिरिक्त कदम भी उठाए गए हैं:

i. परियोजना दिशानिर्देश: जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों और दिनांक 29.03.2023 के संशोधन के अनुसार, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और खनन को जीडब्ल्यू निष्कर्षण के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से एनओसी प्राप्त करने के लिए परियोजना परिसर के भाग के रूप में वर्षा जल संचयन योजना प्रस्तुत करनी होगी।

ii. भवन उपनियम: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मॉडल भवन उपनियम (2016) में 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के भूखंड वाले भवनों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है और 35 राज्यों ने इन प्रावधानों को अपना लिया है।

गुजरात सहित देश में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने गुजरात सहित पूरे भारत में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जलभृतों का मानचित्रण किया है, तथा जल संरक्षण उपायों के साथ प्रबंधन योजनाएँ तैयार की हैं। उनके द्वारा जल संकटों को दूर करने तथा जलभृत प्रबंधन में सुधार करने के लिए हेली-बोर्न सर्वेक्षण जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।

ii. कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान: कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020 का लक्ष्य मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए गुजरात राज्य में 13 लाख संरचनाओं सहित पूरे भारत में 1.42 करोड़ संरचनाओं का निर्माण करना है।

iii. भूजल कानून: भूजल विकास को विनियमित करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है। इस क़ानून को 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है।

iv. अटल भूजल योजना: अटल भूजल योजना गुजरात राज्य में गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 1,873 ग्राम पंचायतों के 2,236 गांवों की पहचान करके 36 तालुकाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी गुजरात जल संसाधन और विकास निगम, नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग, गुजरात सरकार हैं।

*****